	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/4/25	पत्रावली पेश। अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी पेश नहीं किये जाने से जवाब अप्रार्थीगण बन्द किया जाता है। वास्ते बहस दिनांक - 5/6/25 को पेश हो।	
5/6/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक..25/7/25.. को पेश हो।	
25/7/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक..18/9/25.................. को पत्रावली पेश हो।	
18/9/25	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 29/9/25 को पेश हो।	
29/9/25	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2076-2076 ग्राम - डाटून्दा की खाता संख्या - 173 के ख०नं० 1298/549 व	
खाता नं० 175	प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित भूमि पर जबरदस्ती छीनकर	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	डाल कर अतिक्रमण करना चाहते है, जिनके विरुद्ध स्थगन ताफैसला वाद जारी करने का वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है।
	प्रकरण के गुणावगुण निस्तारण हेतु निर्धारित तीनो बिन्दुओं पर न्यायालय निष्कर्ष निम्न प्रकार है:→
1.	प्रथम दृष्टया मामला:→ विवादित भूमि खाता सं. 173 (173)
व 172	मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के प्रार्थी की खातेदारी में निहित होने व खातेदारी भूमि पर दखलदांजी नही करने हेतु प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे बनता है।
2.	सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त:→ वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे निहित होने से उस पर अतिचार नही होने से सुरक्षित रखने का अधिकार प्रार्थी को होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक मे बनता है।
3.	अपूरणीय क्षति की सम्भावना:→ वादी की खातेदारी भूमि पर झींकरा डालकर अप्रार्थीगण द्वारा कृषि स्वरूप नष्ट करने पर आमदा होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की सम्भावना बनी हुई है।
	उपरोक्त विवेचन अनुसार तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष/हक मे होने से न्यायालय ~~द्वारा वादीगण~~ अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता सं. 173 के ख.नं. 1298/549 व खाता नं. 172 के ख.नं. 1261/549 वाके ग्राम डाडून्दा प.म. डाडून्दा के किसी भी भू भाग पर रास्ता नही बनावे, भूमि के किसी भी भू-भाग पर झींकरा नही डाले व प्रार्थी के भूमि के उपयोग, उपभोग मे

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

नम्बर व अहका हुकम की में जारी	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाधा उत्पन्न नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	